UPSI010047162026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14, सीतापुर

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–212/2026

CIS No.2186/2026

आशीष कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य

मु0अ0सं0 09/2026
धारा–137(2), 87, 64(1) बीएनएस

व

धारा 5जे2/6 पॉक्सो ऐक्ट
थाना–रामपुर कलां,
जिला–सीतापुर

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

मु0अ0सं0 09/2026, अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64(1) बी0एन0एस0 व धारा 5जे2/6 पॉक्सो ऐक्ट, थाना रामपुर कलां, जिला सीतापुर से सम्बन्धित प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त आशीष कुमार की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा (पीड़िता के पिता) द्वारा थाने पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 05.01.2026 को सुबह करीब 8 बजे उसकी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष सामान खरीदने की बात कहकर घर से गयी थी, तभी मौका पाकर उसके गांव का आशीष कुमार उसकी पुत्री को बहला–फुसलाकर अपने साथ लेकर कहीं चला गया है। पीड़िता अपने साथ सोने चांदी के जेवर ले गयी है। उपरोक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लेते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। धारा 183 बीएनएसएस के बयान में पीड़िता ने उसके विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। वह दिनांक 19.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अतः उसे जमानत प्रदान की जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुये यह कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री को विवाह आदि के प्रयोजन से बहला–फुसलाकर ले जाया गया और बलात्कार किया गया। धारा–180 बी०एन०एस०एस० के बयान में पीड़िता ने अभिकथित किया है कि दिनांक 05.1.2026 को सुबह लगभग 8 बजे वह गांव के आशीष के साथ महाराष्ट्र चली गयी थी। वहां पर मंदिर में शादी कर ली और एक कमरे में पति पत्नी के जैसे रहे। धारा–183 बी०एन०एस०एस० के बयान में पीड़िता ने अभिकथित किया है कि दिनांक 05.1.2026 को सुबह 8 बजे वह अपने घर पर बिना बताये अपनी मर्जी से अकेले महाराष्ट्र बस से चली गयी थी, वह आशीष के साथ रहने गयी थी, वह आशीष को पसन्द करती है, आशीष ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। चिकित्सक को दिये गये बयान में पीड़िता ने यह अभिकथित किया है कि दिनांक 05.01.2026 को सुबह 8 बजे घर वालों को

बिना बताये वे दोनों महाराष्ट्र पहुंच गये, जहां पर आशीष का मित्र हम दोनों को मकान ले रखा था, जहां पर हम दोनों लगभग डेढ़ माह तक पति पत्नी के रूप में रहने लगे। यद्यपि पीड़िता ने अपनी सहमति से अभियुक्त के साथ जाने एवं पति पत्नी की तरह रहने का कथन किया है कि किन्तु घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी और अवयस्क की सहमति का कोई अर्थ नहीं होता है। पीड़िता की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पाजिटिव है अर्थात पीड़िता गर्भवती है। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

वादी मुकदमा पर नोटिस तामीला है, किन्तु वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों, केस डायरी तथा जमानत प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री को विवाह आदि के प्रयोजन से व्यपहृत करने अभियोग है। धारा 180 व 183 बीएनएसएस के बयान में पीड़िता ने अभियुक्त के साथ जाने एवं शादी करके बतौर पति पत्नी रहने का कथन किया है।

शैक्षणिक अभिलेखों के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 24.2.2008 है और घटना की तिथि 05.01.2026 है। अतः पीड़िता पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(घ) में परिभाषित बालक की श्रेणी में है।

थाने की आख्या के अनुसार यदि अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाती है तो वह साक्षीगण को प्रभावित करेगा।

प्रकरण में कारित अपराध नाबालिग बालिका के साथ कारित लैंगिक अपराध है, जो सामाजिक प्रकृति का भी है और उसके अपने सामाजिक दुष्प्रभाव के कारण विलम्ब का तत्व गौड़ हो जाता है। प्रस्तुत प्रकरण एकान्तिक प्रकृति का है, ऐसे मामलों में स्वतंत्र साक्षी नहीं मिल पाते हैं। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बीएनएसएस में अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ जाने, शादी करने एवं बतौर पति पत्नी रहने का कथन किया है, किन्तु घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी और अवयस्क की सहमति का कोई अर्थ नहीं होता है। पीड़िता की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पाजिटिव है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने पर साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। पीड़िता के नाबालिग बालिका होने के कारण उसे प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति गंभीर है।

अतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, पीड़िता की आयु एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त आशीष कुमार का मु0अ0सं0 09/2026, अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64(1) बी0एन0एस0 व धारा 5जे2/6 पॉक्सो ऐक्ट, थाना रामपुर कलां, जिला सीतापुर से सम्बन्धित प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–16.07.2026

(जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0
14,
सीतापुर
JO CODE- UP2410

प्रशान्त/